



राजस्थान सरकार

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली**  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट बाली)

GCMS NO. 2024/328

—:आदेश:—

दिनांक 30-08-2024

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का कोयलवाव तथा तहसीलदार बाली की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम चिंगटा भाटा तहसील बाली जिला पाली की जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 में खाता संख्या 13 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	चिंगटा भाटा	13	कालाराम पुत्र सवा	कालूराम पुत्र सवा

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली

3  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
महासहायक उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली  
दिनांक 30-08-2024

क्रमांक/कोर्ट/2024/1120-22  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. पटवारी हल्का कोयलवाव को पालनार्थ।
3. प्रार्थी श्री कालूराम पुत्र सवाराम जाति गरासिया निवासी चिंगटा भाटा तह. बाली को सूचनार्थ।



3  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
महासहायक उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली